

प्रेस नोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक 01.06.2022

फर्जी /छद्म व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी से दूसरे की जमीन रजिस्ट्री करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2022 धारा 419/420/406/467/468 भादवि से सम्बन्धित फर्जी/छद्म व्यक्ति बनकर जमीन की रजिस्ट्री करने वाला शातिर अभियुक्त पूरन पुत्र स्व0 अभिराज निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद दक्षिण टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 01.06.2022 समय करीब 11.50 बजे कचहरी रोडवेज बस स्टैण्ड से गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध/पूछताछ विवरण:-

पूछताछ में बताया कि मैं नशे का आदी हूँ मैंने ही विजय कुमार पुत्र देवी लाल निवासी ग्राम सिकटौर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर बनकर मंजू देवी पत्नी उमेश गौड़ निवासी मौजा व पोस्ट परमेश्वर पुर टोला भंडारो थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा 2616 वर्गफीट कर दिया था।

अभियुक्त का नाम पता-

पूरन पुत्र स्व0 अभिराज निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद दक्षिण टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अं0सं0 37/2022 धारा 419/420/406/467/468 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय:-

कचहरी रोडवेज बस्टैण्ड से / दिनांक 01.06.2022 समय करीब 11.50 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 मो0 खुर्शीद खाँ थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 चन्दन खरवार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर